



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15092026-276212
CG-DL-E-15092026-276212

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4828]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 10, 2026/भाद्र 19, 1948

No. 4828]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 10, 2026/BHADRA 19, 1948

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2026

का.आ. 5018(अ).— जबकि मेसर्स जुनिपर ग्रीन जेम प्राइवेट लिमिटेड, आवेदक ने जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस 1103A एवं 1103B, 11वीं मंज़िल, हेमकुंट चेंबर, 89, नेहरू प्लेस, दिल्ली-110019 पर स्थित है, ने ट्रांसमिशन स्कीम, “महाराष्ट्र के धुले ज़िले में मेसर्स जुनिपर ग्रीन जेम प्राइवेट लिमिटेड की प्रस्तावित सौर परियोजना को 300 मेगावाट की कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली” में शामिल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र नं. 25-17/1/2026-PG दिनांकित 08.01.2026 के अंतर्गत ट्रांसमिशन स्कीम “महाराष्ट्र के धुले ज़िले में मेसर्स जुनिपर ग्रीन जेम प्राइवेट लिमिटेड की प्रस्तावित सौर परियोजना को 300 मेगावाट की कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली” में शामिल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स जुनिपर ग्रीन जेम प्राइवेट लिमिटेड ने प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग के बारे में स्थानीय अखबारों, देशदूत टाइम्स (अंग्रेजी में) दिनांक 12.02.2026, नवभारत (हिन्दी में) दिनांक 12.02.2026, लोकमत (मराठी में) दिनांक 12.02.2026, देशदूत (मराठी में) दिनांक 12.02.2026 तथा भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 07.03.2026 में प्रकाशन की तारीख से दो महीनों के भीतर आम जनता से अवलोकन/ अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स जुनिपर ग्रीन जेम प्राइवेट लिमिटेड, ने दिनांकित 01.07.2026 को एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई थी कि भारत के शासकीय राजपत्र में सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के दो महीनों के भीतर जनता से एक अवलोकन/ अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था और मेसर्स जुनिपर ग्रीन जेम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उसका उत्तर दिया गया है और आगे कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स जुनिपर ग्रीन जेम प्राइवेट लिमिटेड को ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उन्हें वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ लाइन्स के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइन्स और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है। इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड लाइन्स शामिल हैं:

- जुनिपर ग्रीन जेम प्राइवेट लिमिटेड सोलर पावर प्रोजेक्ट का पूलिंग स्टेशन (उत्पादन स्विचयार्ड, ग्राम छडवेल, तहसील साकरी, जिला धुले, महाराष्ट्र में स्थित) से धुले ISTS पूलिंग स्टेशन (सेक्शन-I) तक 220 केवी सिंगल सर्किट (S/C) लाइन, डबल सर्किट (D/C) टावरों पर।

इस योजना के अंतर्गत ओवरहेड पारेषण लाइनें महाराष्ट्र के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी।

गाँव	तहसील	जिला	राज्य
समोदे, मुस्दी, म्हसदी प्र. पिंपलनेर / महसादी, जिरापुर, चिकासे / चिकसे, पिंपलनेर, शेनपुर, गवाणी पाडा / गवानीपाडा / गव्हाणीपाडा, देगांव, जेबापुर, दापुर, धवळी विहीर / धवळी विहीर / धवळी विहीर (नया), जांजाळे / झांजळा, ढोळीपाडा, धांगई / धांगाईपाडा, मेंदाणे, बोडगांव, रोहन, आमोदे, घोडाडे, चिकलीपाडा, भोंडगांव, किरवाडे / किरवडे, सुरपान, अष्टाणे, छडवेल पाखरुन / छडवेल पाखरुन / छडवेल (पी) / छडवेल पी, कवठे / कवठे / कवाठे, साकरी, पेरेजपुर, धडाणे / धडणे, नवदाणे / नवडणे / नवडणे, मालपुर, कसारे, सायने / सायने, कोकले / कोकले, गोंडस, नागपुर, बिजापुर / विजापुर / इजापुर, जिरयथाल, मल्लांजन / मलांजन, भडाणे / भडणे	साकरी	धुले	महाराष्ट्र

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स जुनिपर ग्रीन जेम प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है

- यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।

- iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।
- v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।
- vi. मेसर्स जुनिपर ग्रीन जेम प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

[फा. सं. 25-16/69/2026-पावर ग्रिड(एमओपी)]

एम.वी.एन. वरा प्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 9th September, 2026

S.O. 5018(E).— Whereas M/s Juniper Green GEM Private Limited, the applicant with its registered office at 1103A & 1103B, 11th Floor, Hemkunt Chamber, 89, Nehru Place, Delhi - 110019, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line included in the transmission scheme, “Transmission system for providing connectivity of 300 MW to M/s Juniper Green GEM Private Limited for its proposed Solar Project in District Dhule, Maharashtra”.

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter No. 25-17/1/2026-PG dated 08.01.2026 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line included in the transmission scheme, “Transmission system for providing connectivity of 300 MW to M/s Juniper Green GEM Private Limited for its proposed Solar Project in District Dhule, Maharashtra”.

M/s Juniper Green GEM Private Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers Deshdoot Times (in English) dated 12.02.2026, Navbharat (in Hindi) dated 12.02.2026, Lokmat (In Marathi) dated 12.02.2026, Deshdoot (In Marathi) dated 12.02.2026 and in Weekly Gazette of India dated 07.03.2026 for the general public to make observations/ representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently, M/s Juniper Green GEM Private Limited has submitted an affidavit dated 01.07.2026 declaring that one observation/ representation was received within two months from the date of Publication in the official Gazette of Government of India and the same have been answered by M/s Juniper Green GEM Private Limited and that no further representations were received.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of overhead transmission line for Juniper Green GEM Private Limited. The following overhead transmission line is covered under this scheme:

1. Pooling station of Juniper Green GEM Private Limited Solar Power Project (Generation switchyard located in Village Chhadwel, Taluka Sakri, District Dhule, Maharashtra) - Dhule ISTS Pooling Station (Sec-I) 220 kV S/C line on D/C towers.

The overhead transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities of Maharashtra:

Villages	Tehsil	District	State
Samode, Musdi, Mhasdi Pr. Pimpalner / Mahsadi, Jirapur, Chikase / Chikse, Pimpalner, Shenpur, Gavani Pada / Gavanipada / Gavhanipada, Degaon, Jebapur, Dapur, Dhavali Vihir / Dhavli Vihir / Dhavli Vihir New, Zanzale / Jhanjala, Dholipada, Dhangai / Dhangaipada, Maindane, Bodgaon, Rohan, Amode, Ghodade, Chikalipada, Bhondgaon, Kirwade / Kirvade, Surpan, Ashtane, Chhadavel Pakhrun / Chhadvel Pakhrun / Chhadwel (p) / Chhadwel P, Kavathe / Kavthe / Kawathe, Sakri, Perejpur, Dhadane / Dhadne, Nawadane / Navadne / Nawadne, Malpur, Kasare, Sayane / Sayne, Kokale / Kokle, Gondas, Nagpur, Bijapur / Vijapur / Ijapur /, Jiryathal, Mallanjan / Malanjan, Bhadane / Bhadne.	Sakri	Dhule	Maharashtra

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Juniper Green GEM Private Limited for laying above overhead transmission line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

- The approval is granted for 25 years.
- The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.
- The Applicant shall have to follow regulations/ codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under the Electricity Act, 2003.
- The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- M/s Juniper Green GEM Private Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.

[F. No. 25-16/69/2026-POWER GRID(MoP)]

M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)